

19/24

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

को न तारीख अवकाश जो  
इस हुक्म की तारीख न  
जाती हुए

**न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर**  
**अपील संख्या- 55/2024 अंतर्गत धारा-90-ए(2) एल.आर.एक्ट**  
**(GCMS No. 2024/80)**

**अनवान:**

- वन्दना शर्मा पत्नी श्री पूनमचन्द जाति भार्गव निवासी मकान संख्या 114, मरूधरा नगर, नागणेचीजी मंदिर के सामने, बीकानेर हाल निवासी 6-जे-1 पवनपुरी साउथ एक्सटेंशन, बीकानेर।

**बनाम**

- नगर विकास न्यास, बीकानेर जरिये सचिव महोदय।

13.5.25



पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर